

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मनालय) (Ministry of Road Transport & Highways) टेलीफोनः

इं-मेल : più baghpat@gmail.com



परियोजना कियान्वयन हकाई – बागपत Project Implementation Unit. Baghpat फेन्डस कॉलोनी निकट पी डब्लू ही भेस्ट हाउस बहौत रोड़ जिला-बागपत – 250609 Friends Colony, Near PWD Guest House, Baraut Road, District Baghpat-250609

प्रत्रांक संख्या 2-9.1.9

दिनांक 9/12/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग शामली, उ0प्र0

- विषयः— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनपद शामली में पानीपत—खटीमा मार्ग (एन०एच० 709ए0डी0)के चार लेन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.80775 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1679 बाधक वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में। ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या – FP/UP/ROAD/37343/2018
- सन्दर्भः- 1- आपका पत्रांक 872, दिनांक 09.12.2019

2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-1144/11-सी दिनांक 06.12.2019

महोदय,

कृप्या उपयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का बिन्द्रवार निराकरण का इस प्रकार है।

1	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु-3 के निराकरण के क्रम में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आप द्वारा उल्लिखित पत्रांक एस0ओ0 2559 (इ) दिनांक 22.08.2013 का उल्लेख किया है तथा यह भी उल्लेख है कि 100 कि0मी0 से कम के रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक नहीं है, किन्तु इस पत्र की छायाप्रति संलन्न नहीं की गयी है।	में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक नहीं है तथा इसकी छायाप्रति संलग्न कर दी गयी है।
2	PD NHAI का पत्र दिनांक 15.11.2019 संलग्न नहीं है।	PD NHAI का पत्र दिनांक 15.11.2019 संलग्न कर दिया गया है।

Juet 10-12-19

भवदीय कुमार मिश्रा) परियोजनानिदेषक, पी0आई0यू0, बागपत

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2013

का.आ. 2559 (ई).-केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य क्षमतावर्धन के लिए प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और या उत्पाद मिश्रण, भारत के किसी भी भाग में यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण की उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्सरण में पूर्व पर्यावरण निकासी के पश्चात् ही हाथ में लिया जाएगा;

और भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय में राजमार्गें, भवनों और विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय निकासी प्रदान करने से संबंधित पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों का पुनर्विलोकन करने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 21-270/2008-आईए.॥, तारीख 11 दिसंबर, 2012 और पर्यावरण और वन मंत्रालय के गगनचुंबी भवनों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा सदस्य, (पर्यावरण और वन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ;

और समिति के संदर्भ के निबंधनों (टीओआर) में एक निबंधन पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना के अधीन 60 मीटर के मार्गाधिकार और 200 किलोमीटर लंबी राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण निकासी की अपेक्षाओं का पुनर्विलोकन करना था ;

और समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस टीओआर पर समिति ने राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को विस्तारण की अपेक्षा और पर्यावरण संघात निर्धारण से छूट देने की सिफारिश की है या राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन परियोजना माडल टीओआर, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा के अनुसार तैयार किया जा सकता है और पर्यावरण निकासी की अपेक्षा के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि 100 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विस्तार जिसमें अतिरिक्त मार्गाधिकार या विद्यमान संरेखणों पर 40 मीटर तक अर्जन और पुन:संरेखण पर 60 मीटर या उप-मार्गों को अधिसूचना की परिधि से बाहर रखने की सिफारिश की है ;

और समिति की रिपोर्ट की पर्यावरण और वन मंत्रालय में जांच की गई है । पहले ही अधिसूचना सं. का. आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा सभी राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को सिवाय उन परियोजनाओं के जो पहाड़ी क्षेत्रों (1000 मीटर एएमएसएल) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में है, को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 से छूट प्रदान कर दी गई है ।

और अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 21-270/2008-आईए.॥, तारीख 11 दिसंबर, 2012 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पूर्वोक्त सिफारिशों को स्वीकार करने का विनिश्चय किया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 7 के उपपैरा 11 के मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

'(i) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजना क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख 1 'परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन उस परियोजना या क्रियाकलाप, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, के संबंध में पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट (ईआईए) तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत और समग्र निर्देश के निबंधनों का अवधारण और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप1क में दी गई जानकारी के आधार पर जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्देश के निबंधन हैं, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी उप समूह द्वारा स्थल भ्रमण यदि संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए निर्देश के निबंधन, यदि प्रस्त्त किए जांए और अन्य सूचना जे विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित है:

परंतु निम्नलिखित को विस्तारण की आवश्यकता नहीं होगी-

 (i) अनुसूची के मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबढ़ सही परियोजनाएं और कार्यकलाप (नगरों या वाणिज्यिक परिसरों या आवासन का संनिर्माण) ;

(ii) अनुसूची के मद 7 की उपमद (च) के अधीन स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाली राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ;

परंतु यह और कि -

अ. खंड (i) में निर्दिष्ट परियोजनाएं और कार्यकलापों का अंकन प्ररूप 1 या प्ररूप 1क और अवधारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ;

आ. खंड (ii) में निर्दिष्ट परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट माडल टीओआर के आधार पर ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करेंगी ;

(ख) अनुसूची में मद 7 की उप मद (च) के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

"(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों का 100 किलोमीटर से अधिक विस्तार जिनमें अतिरिक्त 40 मीटर से अधिक विद्यमान संरेखणों पर और पुन: संरेखणों या उपमार्गों पर 60 मीटर क्षेत्राधिकार या भूमि अर्जन अंतवर्लित है।"

[फा.सं.21-270/2008-आईए.111]

अजय त्यागी,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नान्सार संशोधित किए गए

- 1. का.आ. 1733(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
- 2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
- 3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
- 4. का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
- 5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013

संजय कुमार मिम्रा परियोजना निदेशक पीo आईo यूo-बागपत Sanjay Kumar Mishra Project Director P.I.U. - Baghpat



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India (सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रालय)

(Ministry of Road Transport & Highways)

टेलीफोन: ई-मेल : più baghpat@gmail.com



भारतमाला

BHARATMALA

परियोजना कियान्वयन इकाई - बागपत Project Implementation Unit, Baghpat फेन्डस कॉलोनी, निकट पी डब्लू डी, गेस्ट हाउस, बड़ौत रोड़, जिला-बाग्रपत - 250609

Friends Colony, Near PWD Guest House, Baraut Road, District Baghpat-250609

प्रत्रांक संख्या <u>280</u>

दिनांक 15/11/19

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग शामली, उ०प्र0

- विषयः— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनपद शामली में पानीपत–खटीमा मार्ग (एन०एच०–709डी) के चार लेन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.80775 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1679 बाधक वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।
- आपका पत्रांक 8बी/यू०पी0/06/78/2019/एफ०सी0/331, दिनांक 04.10.2019 सन्दर्भः–

महोदय,

कृप्या उपयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का बिन्दुवार निराकरण का इस प्रकार है।

1	As per GIS-DSS analysis the proposed CA land is not suitable for plantation due to presence of moderately dense Forest. This must be rectified.	
2	Google image of proposed land to be diverted shows lateral shift which must be corrected.	It is clarified that the proposed land to be diverted has been shown lateral shifted due to geometric improvement in the proposed alignment and the project road is upgradation from two laning to four laning and some locations shifting of forest land in the Nor Forest land has been rectified and uploaded
3	The proposal of Road widening is a part of 6 widening projects in 'Baghpat' district by the user agency i.e NHAI .It is not clear why the projects have not been taken in their entirety and whether Environmental clearance of all projects is being processed/proposed or not.	It is clarified that the proposal of Road widening is a part of 6 widening projects in different districts locations and projects is being implemented by 'PIU Baghpat (NHAI) 'the details of projects as follows. NH-709AD the consolidated proposed cannot be submitted due to following reasons The project road is not a continuous road stretch.
		परियोजना निदेशक १९२योजना निदेशक

0 आई0 य0-बागपत

ny Kultiar Mishra

12/11/1

PROJECTS 1

 The NH-798AD Package-I ends at NH 709 B. Thereafter the NH-709B continues for 7.8 kms (Part of Proposed Shamli Bypass). The project passing through the district Panipat ,Haryana and Shamli.

PROJECTS 2

 The NH-798AD Package-II again starts from NH 709 B after 7.8 kms and ends at NH 58. Thereafter NH 58 continues for 11.2 kms which is not proposed for construction being not part of the project road. The project passing through the district Shamli and Muzaffarnagar.

PROJECTS 3

 The NH-798AD Package-III starts from NH 58 after travelling 11.2 kms on NH 58 and The Package-III ends at Miranpur city junction. Thereafter NH 119 starts and continues for 25.6 kms which is not proposed for construction which is not proposed for construction being part of NH-119. The project passing through the district Muzaffarnagar.

PROJECTS 4

 The NH-798AD Package-IV starts after travelling 25.6 kms on NH-119 and end at Junction with Nh-734. The project passing through the district Bijnor (Key Maps of NH-709AD indicating all 4 Packages enclosed).

PROJECTS 5

 NH-709A Project: The project road starts from design Chainage 0.000 & ending at Design Chainage 88.476. The existing length of project road is 93.826 km and design length of project road is 88.476
China Chainage Chainage Start Start

ारयाजना निदशक पी0 आई0 य0-बागपत Panlay Kumar Mishra

Shamli bypass proposed by UPSHA (which is a part of Delhi Saharanpur road NH-709B) of length 4.50 km. The new NH number of the project section is (NH-709A). The project passing through four districts namely Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar and Shamli (Key Maps of NH-709A Enclosed).

PROJECTS 6

NH-334B Projects: Upgradation two lane with Paved shoulder of- Meerut to Baghpat section from km 0.000 to km 48.260 of NH-334B in the State of Uttar Pradesh. The existing length of project road is 48.260 km and design length is 49.110 km out of which 4.48 Km road (Design Chainage from Km 41+360 to Km 45+840) is not in our scope due to overlap with Delhi-Saharanpur Road NH-709B. Hence total design length is 44.630 Km. the project passing through two districts namely Meerut and Baghpat. (Key Maps Enclosed).

It is further submitted that these projects have been considered as separate project with separate alignment vide NHAI regional –west office letter no 19001/1RO –W-UP/NEW NH/Consultancy/4533 dated 26-10-2018 (copy enclosed)

It is also clarify that We have submitted EDS to Nodal officer vide User agency letter no NHAI/PIU/BPT/1012(NH-709AD)/2018/936 , dated 14-12-2018 that these projects have been considered as separate project with separate alignment. (Copy enclosed).

MoRTH vide letter RW/NH-37011/37/2018-PPP (part) dated 30-11-2018 considered these projects as separate project with high priority (copy enclosed).

Further the construction work would be taken up in different projects which will be executed

15/11/10

गरियोजना निदशक त आई० य०-बागपत

or Kuster Mishra

by Six different contractors; hence the consolidation of these projects is not feasible. ENVIRONMENT CLEARANCE • Environment clearance not required of all the projects vide amendment to EIA notification bearing No S.O 2559 (E) dated 22-Aug-2013 the project road being less than 100 km.

The above point wise compliance is submitted for Consideration

भवदीय 15/11/19

(संजय कुमार मिश्रा) परियोजना निदेषक, पी0आई0यू0, बागपत

संलग्नक – उपरोक्तानुसार